From,

District Magistrate,
Kaushambi, U.P.

To,

Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Sub: O.A. No. 275 of 2024;

Letter No. 1840/खनन सहायक को० Dated: 28/03/2024,

Sir,

With respect to abovementioned Original Application it is submitted that on publication of news article on 13.02.2024 in Circle News, inspection of the site has been got done by the officers of Mining Department on 14.02.2024. During inspection it has been found that neither any mining is being done near Village Semari in District Kaushambi nor any sign of mining was found. Copy of inspection report dated 14.02.2024 is enclosed.

Thereafter a notice dated 11.03.2024 issued by this Hon'ble Tribunal was received in the office of District Magistrate, Kaushambi. Pursuant to the said notice vide Office Order dated 16.03.2024 a team consisting of Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow or a representative nominated by him, Sub Divisional Officer, Chaiyal, Incharge Officer, Regional Office, Geology and Mining, Prayagraj, Mines Officer, Kaushambi has been constituted and directed to make an enquiry and submit the report in respect of complaint within a week so that the same can be forwarded to this Hon'ble Tribunal.

Accordingly, report dated 21.03.2024 has been submitted. (Copy enclosed). It has been found after inspection that no mining activity is being done in the nearby area of Village Semri (District Prayagraj) in District Kaushambi nor there is any mining lease in operation in the said area. However, the mining lease in village Manjhiyari, Bhambhaur in District Prayagraj is in operation and the transportation of mine material is being done village Semri District Prayagraj via Tehsil Chail, District Kaushambi.

Thus, the Complaint has been found baseless.

Report is being submitted for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

Annexure: As above.

Yours faithfully,

28.3.24

(RAJESH KUMAR RAI)
District Magistrate,
Kaushambi,

P Letter

संयुक्त जांच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायत तथा सोशल मीडिया पर जनपद कौशाम्बी के ग्राम सेमरी थाना पिपरी में यमुना नदी से बालू/मोरम के अवैध खनन होने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर जिलाधिकारी, महोदय के मौखिक आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 14.02.2024 को संयुक्त जॉच खान अधिकारी, कौशाम्बी व खान निरीक्षक, कौशाम्बी तथा राजस्व निरीक्षक, चायल द्वारा मौके पर जाकर किया गया। जॉच के दौरान पाया गया कि ग्राम सेमरी/मझियारी में खनन पट्टा संचालित है जो जनपद प्रयागराज की सीमा में स्थित है तथा जनपद कौशाम्बी के तहसील चायल क्षेत्रान्तर्गत यमुना नदी में कहीं भी बालू/मोरम का अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया है और न ही खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जनपद में अवैध खनन/परिवहन संज्ञान में आते ही त्वरित कार्यवाही किया जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

14-2-24	14.02.24	14.02.24
राजस्व निरीक्षक चायल, कौशाम्बी।	खान निरीक्षक, कौशाम्बी।	खान अधिकारी, कौशाम्बी।

4

कार्यालय जिलाधिकारी कौशाम्बी।

(खनन अनुभाग)

पत्रांकः 1792/खनन सहायक कौशा0 दिनांक 16/03/2024

कार्यालय आदेश

डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11.03.2024 जो सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिलाधिकारी कौशाम्बी को संयुक्त रूप से सम्बोधित है, द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–275/2024 जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 01.04.2024 की तिथि नियत है, के सम्बन्ध में डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.03.2024 के साथ **"कौशाम्बी में NGT के नियमों को अनदेखा कर हो रहा अवैध खनन, बालू माफियाओं ने यमुना नदी की धारा में बना दिया रास्ता"** की प्रति संलग्न की गयी है।

संलग्न पत्र में निम्नवत् उल्लिखित है :–

कौशाम्बी में NGT के नियमों को अनदेखा कर हो रहा अवैध खनन, बालू माफियाओं ने यमुना नदी की धारा में बना दिया रास्ता,

यूपी के कौशाम्बी जिले में NGT के नियमों को अनदेखा कर अवैध खनन किया जा रहा है, अवैध खनन में माहिर बालू माफियाओं ने यमुना नदी की धारा में जेसीबी से रास्ता बना दिया, अवैध खनन और नदी में रास्ते का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

मामला पिपरी थाना क्षेत्र के सेमरी घाट का बताया जा रहा है जहाँ अवैध खनन करने वाले बालू माफियाओं ने यमुना नदी को रोककर रास्ता बना दिया और नदी के अन्दर से ही जेसीबी और पोकलैण्ड से अवैध खनन शुरू कर दिया, अवैध खनन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उपरोक्त प्रकरण की जॉच हेतु निम्नवत् जॉच दल का गठन किया जाता है :–

1. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
2. उपजिलाधिकारी चायल,
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, प्रयागराज।
4. खान अधिकारी कौशाम्बी।

गठित जॉच दल को निर्देशित किया जाता है कि विषयगत क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच कर संयुक्त जॉच आख्या 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे सुनवाई हेतु नियत तिथि के पूर्व आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

(राजेश कुमार राय)
जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

पत्रांकः 1792/खनन सहायक कौशा0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0 प्र0, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज को इस आशय से कि प्रतिनिधि नामित कराने तथा जॉच में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु।
4. जॉच दल के सदस्यों को अनुपालनार्थ।

16.3.24

(राजेश कुमार राय)
जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

संयुक्त जांच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

महोदय,

कृपया कार्यालय आदेश संख्या–1792/खनन सहायक कौशा0 दिनांक 16.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11.03.2024 जो सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिलाधिकारी कौशाम्बी को संयुक्त रूप से सम्बोधित है, द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में स्वामोटो योजित ओ0ए0 संख्या–275/2024 मे सुनवाई हेतु दिनांक 01.04.2024 की तिथि नियत की गयी है। डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.03.2024 के साथ ''कौशाम्बी में NGT के नियमों को अनदेखा कर हो रहा अवैध खनन, बालू माफियाओं ने यमुना नदी की धारा में बना दिया रास्ता'' शीर्षक से प्रसारित फोटो का उल्लेख करते हुये उसकी प्रति संलग्न की गयी है। संलग्न पत्र में निम्नवत् उल्लिखित है :–

कौशाम्बी में NGT के नियमों को अनदेखा कर हो रहा अवैध खनन, बालू माफियाओं ने यमुना नदी की धारा में बना दिया रास्ता, यूपी के कौशाम्बी जिले में NGT के नियमों को अनदेखा कर अवैध खनन किया जा रहा है, अवैध खनन में माहिर बालू माफियाओं ने यमुना नदी की धारा में जेसीबी से रास्ता बना दिया, अवैध खनन और नदी में रास्ते का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

मामला पिपरी थाना क्षेत्र के सेमरी घाट का बताया जा रहा है जहॉ अवैध खनन करने वाले बालू माफियाओं ने यमुना नदी को रोकर रास्ता बना दिया और नदी के अन्दर से ही जेसीबी और पोकलैंड से अवैध खनन शुरू कर दिया, अवैध खनन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कार्यालय आदेश दिनांक 16.03.2024 के अनुपालन में डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11.03.2024 के साथ संलग्न शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जॉच/स्थलीय निरीक्षण गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 21.03.2024 को की गयी, जॉच के दौरान पायी गयी स्थित निम्नवत् है :–

जॉच के दौरान पाया गया कि वायरल खबर में थाना पिपरी क्षेत्रान्तर्गत जनपद कौशाम्बी की सीमा में कहीं पर भी अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया और न ही अवैध खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये है। जनपद कौशाम्बी के थाना पिपरी क्षेत्रान्तर्गत कहीं पर भी ग्राम सेमरी स्थित नहीं है, ग्राम सेमरी जनपद प्रयागराज में स्थित है। जनपद प्रयागराज में स्थित ग्राम सेमरी में बालू/मोरम का कोई खनन पट्टा संचालित नहीं है, अपितु जनपद प्रयागराज के ग्राम सेमरी के डाउन स्ट्रीम में ग्राम मझियारी, भंभौर में यमुना नदी के खण्ड संख्या–6 रकबा–10.00हे0, जो मे0 तारा इन्टर प्राईजेज प्रो0 श्री चद्रजीत कुशवाहा पुत्र श्री मिठाई लाल कुशवाहा पता–51 आर0के0 पुरम हवेलिया आवास विकास, झूंसी, प्रयागराज के पक्ष में साधारण बालू खनन हेतु खनन पट्टा दिनांक 14.11.2023 से 13.11.2028 तक 05 वर्ष के लिए स्वीकृत/संचालित है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिज का परिवहन जनपद प्रयागराज के सेमरी ग्राम से होते हुये जनपद कौशाम्बी, तहसील चायल, थाना पिपरी के क्षेत्रों से होता है। शिकायती खबर मे प्रदर्शित फोटो जिसमे खनन कार्य जनपद कौशाम्बी की सीमा में होना उल्लिखित किया जा रहा है, निराधार पाया गया। जॉच के दौरान जनपद कौशाम्बी की सीमा अन्तर्गत

यमुना नदी क्षेत्र में कहीं पर भी बालू/मोरम का अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया और न ही अवैध खनन होने के चिन्ह पाये गये।

प्रदर्शित खबर के साथ लिखित तथ्य कि *''अवैध खनन करने वाले बालू माफियाओं ने यमुना नदी की धारा को रोककर रास्ता बना दिया गया''* के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जॉच के दौरान विषयगत क्षेत्र में जनपद कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत यमुना नदी में कहीं पर भी नदी की धारा को रोक कर रास्ता बना हुआ नहीं पाया गया और न ही आस–पास में ऐसी कोई अनियमितता परिलक्षित हुई।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर वायरल खबर के क्रम में दिनांक 14.02.2024 को जनपद कौशाम्बी तहसील चायल क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित यमुना नदी क्षेत्र की संयुक्त जॉच खान अधिकारी, कौशाम्बी, खान निरीक्षक, कौशाम्बी व राजस्व निरीक्षक चायल द्वारा किया गया था। जॉच के दौरान पाया गया कि *''ग्राम सेमरी/मझियारी में खनन पट्टा संचालित हैं जो जनपद प्रयागराज की सीमा में स्थित है तथा जनपद कौशाम्बी के तहसील चायल क्षेत्रान्तर्गत यमुना*

नदी में कहीं भी बालू/मोरम का अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया है और न ही खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जनपद में अवैध खनन/परिवहन संज्ञान में आते ही त्वरित कार्यवाही किया जाता है।''

उपरोक्तनुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

21.03.24

खान अधिकारी,
कौशाम्बी।

उपजिलाधिकारी, चायल
कौशाम्बी।

प्रभारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय
प्रयागराज

21.03.2024

प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय
प्रयागराज।